

:::आदेश :::

वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, 4 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ-मे दिनांक 21.08.2017 से 08.09.2017 तक आयोजित होने वाले विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु 30 नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

| क्र0स0 | अधिकारी का नाम (सर्व श्री / सुश्री) | सम्बन्धीकरण कार्यालय |
|--------|---------------------------------------|---|
| 1. | अजय कुमार पाण्डेय | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए वाराणसी |
| 2. | अजमल खान | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए अलीगढ़ |
| 3. | अखिलेश कुमार कुलश्रेष्ठ | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए आगरा |
| 4. | आलोक चन्द्र | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग नोयडा |
| 5. | अमर सिंह | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग बिजनौर |
| 6. | अनिल कुमार श्रोत्रिय | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग नोयडा |
| 7. | अनिल कुमार सिंघल | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग नोयडा |
| 8. | अनुज कुमार गुप्ता | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए सहारनपुर |
| 9. | बाल गोविन्द तिवारी | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग बिजनौर |
| 10. | भगवती प्रसाद द्विवेदी | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए फैजाबाद |
| 11. | भोलानाथ यादव | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए इलाहाबाद |
| 12. | भूपेन्द्र सिंह | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए सहारनपुर |
| 13. | भुवन चन्द्र | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए मुरादाबाद |
| 14. | चमन लाल | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए मुरादाबाद |
| 15. | छेदी लाल | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए वाराणसी |
| 16. | डी0के0 गुप्ता | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए कानपुर |
| 17. | डाल चन्द्र वर्मा | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए बुलन्दशहर |
| 18. | गोपाल जी गुप्ता | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए कानपुर |
| 19. | गोविन्द नारायण | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग आजमगढ़ |
| 20. | एन0एम0 त्रिपाठी | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए वाराणसी |
| 21. | हनुमान प्रसाद तिवारी | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए कानपुर |
| 22. | इन्द्र श्याम मिश्रा | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग आजमगढ़ |
| 23. | जय प्रकाश पाण्डेय | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए इलाहाबाद |
| 24. | जय प्रकाश शर्मा | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-बी अलीगढ़ |
| 25. | के0के0 तिवारी | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग नोयडा |
| 26. | कृष्ण बिहारी मिश्रा | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए कानपुर |
| 27. | लाल चन्द्र विश्वकर्मा | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए कानपुर |
| 28. | लाल चन्द्र यादव | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग आजमगढ़ |
| 29. | सुरेश चन्द्र दीक्षित | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए कानपुर |
| 30. | सुशील कुमार वर्मा | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए आगरा |

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति संस्थान में आने के उपरान्त ही मान्य होगी ।

उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय में दि0 21.08.2017 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

प्रशिक्षु अधिकारी से अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं (मेस का एक माह का व्यय जमा करने सहित) प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी । इसके उपरान्त दिवसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित दक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुमति नहीं होगी ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं उठराने की अनुमति नहीं है । अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा । प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक / शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी । मेस में भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा । हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है । मेस में अतिथियों को भोजन हेतु लाना वर्जित होगा ।



- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन प्रशिक्षुओं के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- आधारभूत/ व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ प्रशिक्षण व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आये तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।

उक्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनात / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2

प्रभार- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठोंकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-3, 30प्र0शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में तैनात उक्त सूची में अंकित अधिकारियों को दि0 21.08.17 से प्रारम्भ हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।
6. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2

प्रभार- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।